

निर्णय बर्डजलास श्री हरि मोहन मीना आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़  
नो० 50/अपील/21

करणसिंह आ० हरिसिंह सोन्धिया निवासी रूपाखेड़ी तहसील पिडावा (अपीलाट)  
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिडावा (रस्यो०)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 17.09.2021 न्यायालय तहसीलदार पिडावा  
नो० 340/2021



उपरिष्ठत- श्री सुदामा राठोर, अभिभाषक अपीलान्ट  
परोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: ०७.१२.२१

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिडावा के आदेश दिनांक 17.09.2021 जो मिसल न० 340/21 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम रूपाखेड़ी की आराजी ख० न० 595 रकबा 6.07 बीघा किस्म चरागाह पर अतिक्रमी मानकर एक माह का सिविल कारावास व 333/-रु. शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत एवं सार संग्रह होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया है हल्का पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट अतिक्रमण स्थल पर नहीं बनाई, न ही अतिक्रमण दर्शित भूमि का सीमांकन किया, अतिक्रमण भूमि पर कौनसी फसल बोई है इस संबन्ध में विवरण अंकित नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व अतिक्रमण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज व निर्णय प्रदर्शित नहीं किया है, सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही की गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रस्यो० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंनों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवा दी है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर परोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 272/2020 निर्णय दिनांक 28.09.2020 से आराजी से बेदखल कर पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पिडावा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट संलग्न की गई है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पिडावा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जांच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ०७.१२.२१ को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)  
जिला कलक्टर  
झालावाड़